

ब्लूज टुडे

सतत हिंद महासागर नीली अर्थव्यवस्था में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका

भारत हिंद महासागर को एक साझा और समावेशी समुद्री क्षेत्र के रूप में देखता है, न कि प्रतिस्पर्धा के एक मंच के रूप में। भारत का दृष्टिकोण “हिंद महासागर से, विश्व के लिए” के विज़न पर आधारित है। इसका अर्थ है कि हिंद महासागर को सहयोग और सबके साथ मिलकर कार्य करने का क्षेत्र होना चाहिए, जहां सभी देशों के हितों का ध्यान रखा जाए, और यहां की शांति और समृद्धि का लाभ अंततः पूरे विश्व को मिले।

हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियां

- ▶ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: समुद्र गर्म और अम्लीय हो रहे हैं। साथ ही, उनका जलस्तर भी बढ़ रहा है।
- ▶ पारिस्थितिक क्षरण: अवैध, असूचित और अनियमित (illegal, unreported, and unregulated: IUU) मत्स्यन से महासागर के पारितंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
- ▶ सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता: जलवायु संबंधी व्यवधानों के कारण तूफान-महोर्मी (Storm surge) प्रबल हो रहे हैं और प्रवाल भित्तियों (coral reefs) का क्षरण हो रहा है। इससे आजीविका को नुकसान पहुंच रहा है और सामाजिक स्थिरता कमजोर हो रही है।

भारत की ब्लू ओशन रणनीति क्या होनी चाहिए?

- ▶ सहकारी प्रबंधन: भारत को जैव विविधता संरक्षण, सतत मत्स्यन, पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन तथा साझे महासागरीय क्षेत्र के रूप में साझी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, प्रतिस्पर्धी दोहन का बहिष्कार करना चाहिए।
 - ⊕ उदाहरण: MAHASAGAR (म्यूच्यूअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिस्कोरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजंस) सिद्धांत का लाभ उठाना।
- ▶ जलवायु समुत्थानशीलता (Climate Resilience): भारत को तत्परता और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत इस क्षेत्र में सभी के लिए पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने, महासागर पर्यवेक्षण नेटवर्क को मजबूत करने आदि के लिए एक क्षेत्रीय अनुकूलन और महासागर नवाचार केंद्र स्थापित करके नेतृत्व कर सकता है।
- ▶ समावेशी विकास: हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए हरित पोत परिवहन, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, संधारणीय जलीय कृषि और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
- ▶ वित्तीय पहलों का लाभ उठाना: ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस फोरम (BEFF) 2025; वन ओशन पार्टनरशिप जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय लाभ उठाना चाहिए।
 - ⊕ वन ओशन पार्टनरशिप: इसे COP-30 में आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य 2030 तक महासागर कार्रवाई के लिए 20 बिलियन डॉलर जुटाना है।
 - ⊕ इन वैश्विक वित्त-पोषण को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में लगाने के लिए एक इंडियन ओशन ब्लू फंड बनाया जा सकता है।

भारत के लिए हिंद महासागर का महत्त्व

- ▶ आर्थिक: भारत का माला के हिसाब से 95% और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है।
 - ⊕ साथ ही, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल कच्चे तेल में से 80% तेल का आयात समुद्री मार्ग से किया जाता है।
- ▶ संसाधन निर्भरता: 2.02 मिलियन वर्ग किमी के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और लगभग 11,000 किमी की तटरेखा के साथ, 2023-24 में लगभग 44.95 लाख टन मछलियां पकड़ी गई थीं।
 - ⊕ भारत को मध्य हिंद महासागर का अन्वेषण करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। यहां भारत को मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और तांबे जैसे खनिजों के खनन स्थलों का लाभ प्राप्त है।
- ▶ सुरक्षा जोखिम: इसमें तस्करी, अवैध मत्स्यन, मानव दुर्व्यापार, और सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार जैसे अपरंपरागत खतरे शामिल हैं। उदाहरण के लिए: 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला।

भारत में मीथेन उत्सर्जन के बेहतर प्रबंधन से “अपशिष्ट-मुक्त शहर” बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है

भारत, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। भारत, विश्व में कुल मीथेन उत्सर्जन के लगभग 9% के लिए जिम्मेदार है। भारत के कुल मीथेन उत्सर्जन में से लगभग 15% उत्सर्जन अपशिष्ट (वेस्ट) क्षेत्र से होता है।

- ▶ मीथेन उत्सर्जन के अन्य प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं:
 - ⊕ कृषि क्षेत्रक: जुगाली करने वाले पशुओं में आंत्र किण्वन (Enteric fermentation), पशुओं के गोबर और मूत्र जैसे अपशिष्टों का प्रबंधन, धान की खेती;
 - ⊕ ऊर्जा क्षेत्रक: जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, कोयला खदानें, प्राकृतिक गैस एवं तेल उत्पादन प्रणालियों से रिसाव।
- ▶ कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार के लिए जटिल एवं दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता होती है, जबकि अपशिष्ट प्रबंधन में लक्षित उपायों से मीथेन उत्सर्जन में त्वरित कटौती संभव है। अपशिष्ट से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने हेतु उपाय
- ▶ उत्सर्जन के स्रोतों का सही से निगरानी: उपग्रहों के उपयोग से वास्तव में क्षेत्रीय स्तर पर मीथेन उत्सर्जन के रुझानों का पता लगाया जा सकता है। इससे हाई-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के माध्यम से उच्च उत्सर्जन (हॉटस्पॉट) वाले स्थानों की सटीक पहचान करने में मदद मिल सकती है।
 - ⊕ वर्ष 2023 में उपग्रह डेटा आधारित इसरो के अध्ययन ने पिराना (गुजरात); देवनार और कांजुरमार्ग (महाराष्ट्र) तथा गाजीपुर (दिल्ली) जैसे मीथेन उत्सर्जक प्रमुख स्थलों की पहचान की।
- ▶ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) के तहत अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत पर कचरे को अलग-अलग करना: गीले, सूखे और खतरनाक अपशिष्टों को उनके उत्पादन स्रोत पर सख्ती से अलग-अलग करके मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- ▶ गोबरधन (GOBARDhan) योजना के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा एवं बायो-CNG को प्रोत्साहन देना: गीले अपशिष्ट से मीथेन प्राप्ति (कैचर) हेतु बायोगैस एवं बायो-CNG संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए।
- ▶ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल प्रबंधन: खुले डंपिंग स्थलों की जगह गैस संग्रहण एवं लीचेट प्रबंधन प्रणालियों से युक्त इंजीनियर्ड लैंडफिल को बढ़ावा देना चाहिए।
- ▶ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अंतर्गत कार्य-योजना की पहचान करना: अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में भारत की NDCs के तहत जलवायु कार्य-योजना लक्ष्यों के अनुरूप सुधार करना चाहिए।

मीथेन के बारे में

- ▶ मीथेन में, 20 वर्षों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 84 गुना अधिक वैश्विक तापवृद्धि क्षमता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मानवजनित-तापवृद्धि का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
 - ⊕ वायुमंडलीय तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए मीथेन उत्सर्जन में अधिकतम संभव कटौती आवश्यक है।
- ▶ मीथेन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक (SLCP) है। इसका वायुमंडलीय जीवनकाल लगभग 12 वर्ष होता है। यह धरातलीय ओजोन प्रदूषण का एक प्रमुख अग्रदूत (Precursor) भी है।

वर्ष 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2.59 करोड़ विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, देश भर की विभिन्न लोक अदालतों में 23.5 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

लोक अदालत ढांचा

- स्थापना: लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना त्वरित और वहनीय न्याय प्रदान करने के लिए की गई है।
- उद्देश्य: लंबित मामलों को कम करना; सहमति से समझौतों को बढ़ावा देना और न्याय तक पहुंच को मजबूत करना।
 - उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
- प्राधिकरण: लोक अदालत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) NALSA का मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होता है।
- प्रवर्तन: इसके पंचाट/फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा दीवानी न्यायालय की डिफ्री के समतुल्य होते हैं। इसके निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
- दायरा: लोक अदालत में दीवानी या फौजदारी लंबित मामलों या मुकदमा शुरू होने से पहले मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है। हालांकि, गैर-शमनीय अपराधों (non-compoundable offences) और तलाक के मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

लोक अदालतों के प्रकार:

- राष्ट्रीय लोक अदालत (NLA): इसमें न्यायपालिका के सभी स्तरों पर (उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुका स्तरों तक) एक ही दिन राष्ट्रव्यापी व एक साथ अदालतें आयोजित की जाती हैं। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करना होता है।
- स्थायी लोक अदालत (PLA): यह सार्वजनिक जन-उपयोगिता सेवाओं (जैसे- परिवहन, डाक, तार, बिजली, जल आपूर्ति आदि) से संबंधित ₹ 1 करोड़ तक के मामलों के लिए आयोजित की जाती है।
- ई-लोक अदालत और मोबाइल या सचल लोक अदालत:
 - ई-लोक अदालतें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल भागीदारी की अनुमति देती हैं और न्याय को सुलभ बनाती हैं।
 - मोबाइल लोक अदालतें विवादों को निपटाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने हेतु आयोजित की जाती हैं।

लोक अदालत की 4-स्तरीय संगठनात्मक संरचना

स्तर	प्राधिकरण	प्रमुख अधिकारी	कार्य
1	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)	भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के अधीन	नीतिगत दिशा-निर्देश जारी करना, विनियम करना आदि।
2	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA)	संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कार्यकारी अध्यक्ष के अधीन	NALSA की नीतियों को लागू करना, लोक अदालतें आयोजित करना, कानूनी सहायता प्रदान करना आदि।
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (JLSA)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीन	जिला-स्तरीय लोक अदालतें आयोजित करना, कानूनी सहायता और स्थानीय कार्यान्वयन का प्रबंधन करना।
4	तालुका विधिक सेवा समिति	सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के अधीन	तालुका/मंडल स्तर पर लोक अदालतें आयोजित करना, जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करना, नागरिकों के लिए पहला संपर्क बिंदु आदि।

भारत की दो नई आर्द्रभूमियां (Wetlands) रामसर सूची में शामिल हुईं

भारत ने राजस्थान की सिलीसेढ़ झील (Silerh Lake) और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय (Kopra Jalashay) को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची यानी 'रामसर सूची' में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 96 हो गई है।

सिलीसेढ़ झील के बारे में

- अवस्थिति: राजस्थान के अलवर जिले के पैतपुर में।
 - यह अर्ध-शुष्क क्षेत्र है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित है।
- यह एक कृत्रिम (मानव-निर्मित) आर्द्रभूमि है। इसका निर्माण 1845 ई. में महाराजा विनय सिंह द्वारा रूपारेल नदी की एक सहायक जलधारा पर बांध (बंड) बनाकर किया गया था।
- प्राप्त जैव विविधता: यहां इजिप्शियन गिद्ध, ब्लैक स्टॉर्क, बाघ, भारतीय पैंगोलिन, तेंदुआ और सांभर जैसी प्रजातियां देखी जा सकती हैं।

कोपरा जलाशय के बारे में

- अवस्थिति: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में।
- यह महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है।
- इसके विस्तृत खुला जल-क्षेत्र में उथले और पोषक तत्वों से समृद्ध पशु जल (बैकवॉटर) जैसी विशेषता देखी जा सकती है।
- प्राप्त जैव विविधता: बार-हेडेड गूज, इजिप्शियन गिद्ध, रिवर टर्न, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल।
- मुख्य खतरे: अवसाद का जमाव (सिल्टेशन), आक्रामक गैर-देशज प्रजातियों की उपस्थिति तथा आसपास के क्षेत्र में गहन कृषि-कार्य।

रामसर सूची के बारे में

- शुरुआत: आर्द्रभूमि अभिसमय (Convention on Wetlands) के अंतर्गत रामसर सूची का प्रावधान किया गया। इस अभिसमय को 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था।
 - यह विश्व में संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
 - संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश इस अभिसमय के "संविदा पक्षकार (Contracting Parties)" हैं। इनमें भारत भी शामिल है।
- महत्व: रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष दर्जा मिलता है। इन स्थलों को 'मानवता के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र' माना जाता है।
- मानदंड: किसी आर्द्रभूमि को "अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि" सूची में शामिल होने के लिए रामसर अभिसमय द्वारा निर्धारित नौ में से कम-से-कम एक मानदंड को पूरा करना आवश्यक है।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने 'इंडियाज एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स: पाथवेज़ टू जॉब्स' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट देश में नौकरियों के सृजन के प्रमुख चालक के रूप में कौशल विकास और लघु उद्यमों की भूमिका को रेखांकित करती है।

रोजगार में प्रमुख रुझान

- रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से स्व-रोजगार में बढ़ोतरी के कारण हुई है, जबकि कम-कौशल वाले रोजगार से उच्च कौशल वाले रोजगार में परिवर्तन धीमा रहा है।
 - ⊕ भारत में स्व-रोजगार का प्रभुत्व आर्थिक आवश्यकता के कारण है न कि उद्यमशीलता की गतिशीलता के कारण। इसके अलावा, अधिकतर लघु उद्यम कम पूंजी, निम्न उत्पादकता और अल्प प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ जीवन निर्वाह के स्तर पर परिचालन करते हैं।
- विशेष रूप से सेवाओं में मध्यम-कौशल वाली नौकरियां रोजगार वृद्धि पर हावी हैं, जबकि विनिर्माण में अभी भी कम-कौशल वाले श्रम बल की प्रधानता है।
- भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली को अभी भी गहन संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ⊕ सीटों का पूरी तरह से नहीं भरा जाना;
 - ⊕ अपर्याप्त प्लेसमेंट,
 - ⊕ प्रशिक्षक पदों का रिक्त होना,
 - ⊕ कमजोर उद्योग संपर्क, तथा
 - ⊕ व्यावसायिक शिक्षा को गैर-प्राथमिक विकल्प के रूप में देखने की लगातार बनी हुई धारणा।

सार्वजनिक रोजगार सृजित करने के लिए सिफारिशें

- **मांग पक्ष:** सुधारों का लक्ष्य घरेलू उपभोग को बढ़ावा देना; उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को श्रम-गहन क्षेत्रों (जैसे- वस्त्र, फुटवियर आदि) की ओर पुनर्निर्देशित करना; ऋण तक पहुंच में सुधार करना और श्रम संबंधी नियमों को सरल बनाना होना चाहिए।
 - ⊕ ऋण तक पहुंच में 1% की वृद्धि भी हायर किए गए कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या में 45% की वृद्धि करती है।
- **आपूर्ति पक्ष:** प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में VET को एकीकृत करना चाहिए; पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगों के साथ संरेखित करना चाहिए; सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना चाहिए और ऐसे सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाना चाहिए, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हों।
 - ⊕ औपचारिक कौशल विकास में निवेश के माध्यम से कुशल कार्य बल के हिस्से को 12 प्रतिशत अंक तक बढ़ाने से 2030 तक श्रम-गहन क्षेत्रों में रोजगार में 13% से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

अन्य सुर्खियां



सुपरनोवा स्टैंट

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS/एम्स), नई दिल्ली ने एक नए और उन्नत स्ट्रोक उपचार उपकरण का नैदानिक परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) किया। यह इस तरह के उपकरण का भारत का पहला नैदानिक परीक्षण है। इस उपकरण को सुपरनोवा स्टैंट नाम दिया गया है।

➤ स्ट्रोक (आघात) तब होता है, जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है या मस्तिष्क में रक्त वाहिका फट जाती है।

➤ स्ट्रोक से स्थायी मस्तिष्क क्षति, दीर्घकालिक दिव्यांगता या मृत्यु भी हो सकती है।

सुपरनोवा स्टैंट के बारे में

➤ यह रिपरफ्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है। इसमें एक अवरुद्ध मस्तिष्क धमनी (सेरेब्रल आर्टरी) से रक्त के थक्के को भौतिक रूप से कैप्चर करके उसे हटाया जाता है।

➤ इसकी संरक्षा और उच्च प्रभावकारिता GRASSROOT ट्रायल में सिद्ध हुई थी।

⊕ GRASSROOT: द ग्रेविटी स्टैंट-रिट्रीवर सिस्टम फॉर रिपरफ्यूशन ऑफ लार्ज वेसल ऑक्लूजन स्ट्रोक।



सम्राट पेरुंबिदुगु मुतरैय्यर द्वितीय (सुवरण मारन)

भारत के उपराष्ट्रपति ने सम्राट पेरुंबिदुगु मुतरैय्यर द्वितीय (सुवरण मारन) के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।

सम्राट पेरुंबिदुगु मुतरैय्यर द्वितीय (सुवरण मारन) के बारे में

➤ इन्हें शल्लुभयंकर के नाम से भी जाना जाता था।

➤ राजवंश: मुतरैय्यर राजवंश से संबंधित, जो पल्लवों के सामंत थे।

➤ क्षेत्र: मध्य तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।

➤ अवधि: 705 से 745 ईस्वी के दौरान शासन किया था।

➤ राजधानी: तिरुचिरापल्ली से शासन किया था।

➤ प्रशासन: स्थिर शासन और क्षेत्रीय समेकन के लिए जाने जाते हैं।

➤ सांस्कृतिक संरक्षण: मंदिरों का निर्माण करवाया, शैव और अन्य विद्वानों तथा तमिल संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया आदि।



उल्का

दुनिया भर में जेमिनिड (Geminid) उल्का बौछार (meteor shower) देखी गई।

➤ जेमिनिड्स चमकीली और तीव्र गति वाली उल्काएं होती हैं। इनका रंग पीला होता है।

➤ जेमिनिड उल्का बौछार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के मध्य में चरम पर होती है। इसके चरम के दौरान प्रति घंटे 120 जेमिनिड उल्काएं देखी जा सकती हैं।

उल्का के बारे में

➤ एक उल्का को आमतौर पर “टूटता तारा” (shooting star) कहा जाता है। यह तब बनती है, जब कोई उल्काभ (meteoroid) या उल्कापिंड (Meteorite) पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती/करता है और घर्षण के कारण जल जाती/जाता है।

⊕ उल्काभ आम तौर पर बड़े खगोलीय पिंडों से टूटकर अलग हुए अंतरिक्ष में मौजूद छोटे-छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। इनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्रग्रहों (asteroids) तक होता है।

➤ अधिकांश उल्काएं धरातल पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से जल जाती हैं।

➤ जब कोई उल्काभ वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर धरातल से टकराती है, तो उसे उल्कापिंड कहते हैं।



ऑपरेशन थंडर 2025

ऑपरेशन थंडर 2025 के तहत 30,000 जीवित जानवर जब्त किए गए।

ऑपरेशन थंडर के बारे में

➤ इसे इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बेटिंग वाइल्डलाइफ एंड फॉरेस्ट्री क्राइम (ICCWC) के समर्थन से समन्वित किया गया था।

➤ इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवैध रूप से व्यापार किए गए वन्यजीवों और वानिकी उत्पादों को रोकना एवं जब्त करना है। साथ ही, इस प्रकार के पर्यावरणीय अपराधों में शामिल आपराधिक नेटवर्कों की पहचान करना, उन्हें बाधित करना और नष्ट करना है।



तमिलनाडु की CbMRV प्रणाली

तमिलनाडु ने एक समुदाय-आधारित मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (Community-based Measurement, Reporting, and Verification: CbMRV) प्रणाली शुरू की। इसके माध्यम से जन-नेतृत्व युक्त जलवायु खुफिया आंदोलन का निर्माण किया जाएगा।

CbMRV प्रणाली के बारे में

- परिचय: इसे यूके पैक्ट (UK PACT) कार्यक्रम के तहत 2023 में एक प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- अवधारणा: यह स्थानीय समुदायों को जलवायु एवं पर्यावरण संबंधी डेटा को संग्रहीत करने, सत्यापित करने और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाती है।
- फोकस: यह मुख्य रूप से ब्लू कार्बन संसाधनों जैसे मैंग्रोव को लक्षित करती है, जिसमें pH और कार्बन की मात्रा जैसे कारकों को मापा जाता है।
- महत्व: यह नीचे से ऊपर जलवायु नियोजन, जलवायु समुत्थानशीलता, पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन ट्रेकिंग आदि को मजबूत करती है।



महाक्राइमओएस एआई (MahaCrimeOS AI)

महाराष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके बढ़ते साइबर अपराध के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए महाक्राइमओएस एआई (MahaCrimeOS AI) लॉन्च किया।

महाक्राइमओएस एआई के बारे में

- प्लेटफॉर्म: यह एक उन्नत AI को-पायलट प्रणाली है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। यह अजूर ओपनएआई सर्विस का उपयोग करता है।
- उद्देश्य: विशाल, असंरचित और बहुभाषी डेटा (जैसे- FIRs, बैंक विवरण आदि) का विश्लेषण करके कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करना तथा जांच में लगने वाले समय को 80% तक कम करना।
- कार्य: यह डेटा निष्कर्षण को स्वचालित करेगा; जांचकर्ताओं को प्रोटोकॉल के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करेगा, और जटिल अपराध संपर्कों की पहचान करेगा।



पोंडुरु खादी

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के पोंडुरु खादी को भौगोलिक संकेतक टैग (GI tag) प्राप्त हुआ।

पोंडुरु खादी के बारे में

- यह मुख्य रूप से छोटे रेशे वाली और पहाड़ी किस्म की कीट प्रतिरोधी कपास से निर्मित होती है।
- महत्व: इस कपास की खेती में रसायनों का उपयोग नहीं होता।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग के बारे में

- GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- भारत में, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 GI के पंजीकरण व बेहतर संरक्षण का प्रावधान करता है।



लूनरक्रीट

वैज्ञानिक चंद्रमा पर लंबी अवधि की बस्तियों के लिए लूनरक्रीट (Lunarcrete) (चंद्रमा पर बना कंक्रीट) विकसित करने पर विचार कर रहे हैं।

लूनरक्रीट के बारे में

- यह चंद्रमा पर निर्माण कार्यों के लिए चंद्रमा की मिट्टी (Lunar Regolith) से बनी एक काल्पनिक सामग्री है, जो कंक्रीट के समान होगी।
- उद्देश्य: चंद्रमा पर भवनों की निर्माण लागत को कम करना, जो इसके कम गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल रहित वातावरण के लिए उपयुक्त हो।
- लूनरक्रीट के मूल तत्व: नियमित कंक्रीट के समान, अर्थात् एग्रीगेट (बजरी, रेत आदि), जल और सीमेंट।
 - हालांकि, चंद्रमा पर पर्याप्त जल प्राप्त करना एक चुनौती बनी हुई है।



थैलेसीमिया

थैलेसीमिया के मरीजों ने संसद में राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक, 2025 (National Blood Transfusion Bill, 2025) को प्रस्तुत किए जाने का स्वागत किया है।

- यह एक गैर-सरकारी विधेयक (Private Member Bill) है। इसका उद्देश्य मानव रक्त और रक्त घटकों के संग्रहण, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण आदि को विनियमित करने के लिए एक समर्पित कानूनी ढांचा निर्मित करना है।

थैलेसीमिया के बारे में

- यह एक वंशानुगत रक्त विकार है, जो हीमोग्लोबिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है।
- इसमें अल्प मात्रा में और कम समय तक जीवित रहने वाली लाल रक्त कोशिकाएं (RBCs) बनती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप एनीमिया होता है और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है।
- अधिकांश थैलेसीमिया रोगियों को एनीमिया के इलाज के लिए नियमित रक्त आधान (blood transfusions) की आवश्यकता होती है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर